

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-104/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा० प्रियका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालदा के द्वारा द्वितीय सतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 06.07.2024 से 05.01.2025 तक को निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है-

i	दिनांक 06.07.2024 से 01.01.2025 तक	- कुल-180(एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश।
ii	दिनांक 02.01.2025 से 05.01.2025 तक	- कुल-4(चार) दिन देय अवकाश।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-104/2025- 2091(2) पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालदा/डा० प्रियका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालदा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एव 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

M. M. K. 21/8/26
सरकार के उप सचिव